



न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – कालूराम (आर.जे.एस.)

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या – 41/2016

CIS Reg. No. – CRI. CASE/1515/2016

CNR No. : RJJH020009572016



राजस्थान राज्य बनाम महेश कुमार वगैरह

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या: 516/2013, पुलिस थाना गुढा

अपराध अन्तर्गत धारा: 420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं
3/4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम,

1978

भाग-प्रथम

A

परिवादी	रतन सिंह पुत्र नाहर सिंह, निवासी धमोरा, थाना गुढागौड़जी, जिला झुंझुनूं (राज.)
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. तेजपाल सिंह नूनियां पुत्र प्रहलाद, (दिनांक 07.11.2019 को कार्यवाही उपशमित) 2. महेश कुमार पुत्र सुरेश कुमार, 3. सुरेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह, निवासीगण नूनियां गोठड़ा, पुलिस थाना बगड़, जिला झुंझुनूं (राज.) (दिनांक 09.07.2021 को कार्यवाही उपशमित)
राज्य की ओर से	श्री राजपाल महला, अभियोजन अधिकारी
अधिवक्ता अभियुक्त महेश कुमार	श्री अशोक कुमार शर्मा

B

अपराध की दिनांक	29.02.2008
-----------------	------------



प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	21.12.2013
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	01.02.2016
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	06.11.2017
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	16.11.2018
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	18.03.2026
निर्णय दिनांक	25.03.2026
दण्डादेश की दिनांक	--

C

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा-428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	महेश कुमार	06.12.2015	09.06.2020	420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता 3/4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978	दोषमुक्त	--	--

भाग-द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ-अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू. 1	रणवीर सिंह	ताईद फर्द जब्ती असल बॉण्ड
पी.डब्ल्यू. 2	गणेशानाथ सिद्ध	ताईद हालात तफ्तीश
पी.डब्ल्यू. 3	अशोक कुमार	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 4	याकत अली खान	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 5	पितरपाल	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 6	पूनम देवी	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 7	सुमन कुमारी	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 8	मनोहरलाल शर्मा	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 9	अंकित	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 10	किशोर देवी	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी



पी.डब्ल्यू. 11	शीशराम	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 12	विजय सिंह	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 13	सुरेन्द्र कुमार	ताईद फर्द जब्ती एक सीडी
पी.डब्ल्यू. 14	खेमचन्द	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 15	बनारसी	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 16	दिनेश कुमार	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 17	मायावती	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 18	शिवदयाल	ताईद चार्जशीट
पी.डब्ल्यू. 19	समुद्र सिंह	ताईद कायमी एफआईआर

ब-बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
--	--	--

स-न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
---	---	---

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श**अ-अभियोजन प्रदर्श**

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी 01	फर्द जब्ती असल बॉण्ड प्रिया होम स्टडी
02	प्रदर्श पी 02	असल बॉण्ड
03	प्रदर्श पी 03	गवाह पितरपाल के बयान धारा 161 सीआरपीसी
04	प्रदर्श पी 04	फर्द जब्ती सीडी प्रिया परिवार कम्पनी
05	प्रदर्श पी 04	गवाह मनोहरलाल के बयान धारा 161 सीआरपीसी
06	प्रदर्श पी 04 व 05	मेमोरेण्डम
07	प्रदर्श पी 05	गवाह अंकित कुमार के बयान धारा 161 सीआरपीसी
08	प्रदर्श पी 06	गवाह शिशराम के बयान धारा 161 सीआरपीसी
09	प्रदर्श पी 07	प्रिया परिवार का शैक्षणिक पैकेज
10	प्रदर्श पी 07	गवाह बनारसी के बयान धारा 161 सीआरपीसी
11	प्रदर्श पी 07	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुलजिम तेजपाल



		सिंह
12	प्रदर्श पी 08	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुलजिम महेश कुमार
13	प्रदर्श पी 08	गवाह दिनेश कुमार के बयान धारा 161 सीआरपीसी
14	प्रदर्श पी 09	फर्द गिरफ्तारी व जाता तलाशी मुलजिम सुरेन्द्र सिंह
15	प्रदर्श पी 09	परिवाद
16	प्रदर्श पी 10	चॉक एफआईआर

ब-बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
		--

स-न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
		--

द-भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	--	--

-निर्णय-**दिनांक – 25 मार्च, 2026**

1. प्रकरण में दौराने विचारण अभियुक्त तेजपाल सिंह नूनियां एवं सुरेंद्र सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध क्रमशः दिनांक 07.11.2019 एवं 09.07.2021 को दाण्डिक कार्यवाही उपशमनित की जा चुकी है। प्रकरण में अभियुक्त महेश कुमार की हद तक निर्णय किया जा रहा है।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 05.10.2012 को परिवादी रतन सिंह ने विपक्षीगण सुरेन्द्र सिंह व तेजपाल नूनियां के विरुद्ध एक परिवाद न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी के समक्ष इस आशय का पेश किया कि मुलजिमान दिनांक 28.02.2008 को परिवादी के गांव धमोरा आए और परिवादी को अपनी कम्पनी में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। परिणामस्वरूप परिवादी ने दिनांक 29.02.2008 को 6800/-रुपये का निवेश उक्त कम्पनी के चैयरमैन व डायरेक्टर के झूठे झांसे मे आकर किया।



पश्चात प्रिया होम स्टेडी ने एक पॉलिसी बॉण्ड जारी किया, जिसमें दुर्घटना राशि एक लाख रूपये की कवर करती है। आज तक कम्पनी ने राशि नहीं लौटाई व परिवादी जब दिनांक 25.09.2012 को कम्पनी ऑफिस झुंझुनूं गया तो कम्पनी के ऑफिस सीज मिले जिस कारण परिवादी को अभियुक्तगण द्वारा किए गए बेईमानीपूर्वक धोखे का पता चलने पर इस्तगासा पेश किया। उक्त परिवाद धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार अग्रिम अनुसंधान हेतु पुलिस थाना, गुढागौड़जी को भिजवाए जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 516/2013 अंतर्गत धारा 420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण तेजपाल सिंह नूनियां, सुरेन्द्र सिंह एवं महेश कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 में न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्तगण तेजपाल सिंह, सुरेन्द्र सिंह एवं महेश कुमार के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं 4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 में प्रसंज्ञान लिया गया।

3. पत्रावली श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झुंझुनूं के आदेशानुसार न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी से अंतरित होकर दिनांक 22.08.2016 को इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. अभियुक्त महेश कुमार को धारा 420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए उपरोक्तानुसार वर्णित गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये गये व उपरोक्तानुसार वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।



6. अभियुक्त महेश कुमार को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षित किया गया जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन की साक्ष्य को गलत होना बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर करते हुए कथन किया कि कम्पनी विशुद्ध रूप से ऑनलाईन प्रशिक्षण का कार्य करती थी। निवेश के लिए कभी किसी से कोई राशि नहीं ली गई तथा उसे झूठा फंसाया गया है।

7. बहस अंतिम उभयपक्ष सुनी गई।

8. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी की ओर से तर्क दिए गए कि पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

9. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त महेश कुमार की ओर से तर्क दिया गया कि प्रकरण में परिवादी परीक्षित नहीं हुआ है। अन्य गवाहान जो राशि दिया जाना बता रहे हैं उनकी ओर से कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। राशि जमा करवाए जाने बाबत कोई दस्तावेज भी पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाये गए हैं। गवाहान जिरह में अभियुक्त को जानने तक से इनकार करते हैं। केवल मात्र अभियुक्त को निदेशक के तौर पर अभियुक्त बनाया गया है। कम्पनी को प्रकरण में अभियुक्त नहीं बनाया गया है। लिहाजा अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

10. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन एवं परिशीलन किया गया। प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या अभियुक्त महेश कुमार ने दिनांक 29.02.2008 को मौजा धमोरा में अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र कारित कर प्रिया होम स्टडी प्राईवेट लि. में 6800/- रुपये जमा करवाकर सदस्य बनने पर कम्पनी से मिलने वाले लाभांशों का झांसा देकर प्रवंचित कर कपटपूर्वक व बेईमानी से व्यक्तियों को



जोड़ा तथा छलपूर्वक उत्प्रेरित कर उनके द्वारा परिदत्त किए गए रूपये जो कि लाभांश आदि प्राप्त करने हेतु न्यस्त किए गए थे, को बेईमानीपूर्वक तरीके से अपने उपयोग में संपरिवर्तित किया व लाभांश व राशि अदा नहीं करके आपराधिक न्यास भंग किया?

2. क्या अभियुक्त महेश कुमार ने उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर प्रिया होम स्टेडी प्राईवेट लिमिटेड के माध्यम से धन परिचालन स्कीम का संचालन करने के लिए अनेक व्यक्तियों से रूपये लेकर उक्त स्कीम में सहभागिता के लिए या अन्यथा उक्त स्कीम में भाग लेने के लिए तथा उक्त स्कीम के तहत धन प्राप्त करने की दिशा में एनरोल कर सदस्य बनाए तथा उक्त कम्पनी के नाम से विभिन्न प्रकार के दस्तावेज छपवाकर उनका प्रकाशन व वितरण किया?

3. यदि, हां तो अभियुक्त को क्या सजा दी जावे?

11. विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियोजन साक्ष्य का निम्नलिखित बिन्दुओं के साथ विवेचन किया जा रहा है।

-प्रारम्भिक पृष्ठभूमि-

12. विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो अभियोजन कहानी का प्रारम्भ परिवाद प्रदर्श पी. 09 से होता है, जिसमें परिवादी रतन सिंह ने अभियुक्त तेजपाल सिंह नूनियां एवं सुरेंद्र सिंह के दिनांक 28.02.2008 को उसके गांव धमोरा आने व प्रिया होम स्टेडी प्रा.लि. में निवेश करने के लिए प्रेरित करने पर दिनांक 29.02.2008 को 6800/- रूपये का निवेश झांसे में आकर करने, परिवादी को लाभांश नहीं लौटाने पर परिवाद न्यायालय में पेश करने के तथ्य दर्शित किए हैं। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाया है।

-अभियोजन साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण-

13. अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्य का अवलोकन करें तो परिवादी रतन सिंह की दौराने विचारण मृत्यु हो जाने के कारण रतन सिंह को पेश कर



परीक्षित नहीं कराया जा सका है। प्रकरण के अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू. 04 याकत अली खान, पी.डब्ल्यू. 06 पूनम देवी, पी.डब्ल्यू. 07 सुमन कुमारी, पी.डब्ल्यू. 10 किशोर देवी, पी.डब्ल्यू. 12 विजय सिंह, पी.डब्ल्यू. 14 खेमचंद, पी.डब्ल्यू. 17 मायावती ने अपने सशपथ कथनों में सारतः एक दूसरे के अनुरूप ही कथन करते हुए प्रिया परिवार के एजेंट से परिवार के सदस्यों के नाम पर 6800/- रुपये या भिन्न राशि के बॉण्ड खरीदे जाने, कुछ समय बाद लाभांश मिलने, समय पूर्ण होने के बाद भी उन्हें उनकी मूल रकम नहीं लौटाने, ना ही कोई लाभांश या कार देने ना ही कम्प्यूटर शिक्षा देने तथा उनके साथ धोखाधड़ी कर उनके रुपये हड़प लेने के संबंध में कथन किए हैं। अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 01 रणवीर सिंह एवं गवाह पी.डब्ल्यू. 03 अशोक कुमार ने बॉण्ड जब्ती प्रदर्श पी. 01 के संबंध में कथन किए हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 02 गणेशानाथ सिद्ध प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जिसके द्वारा अनुसंधान बाबत की गई सिलसिलेवार कार्यवाही के संबंध में कथन किए गए हैं। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाया है। गवाह पी.डब्ल्यू. 13 सुरेंद्र कुमार ने अपने सशपथ न्यायालय बयानों में दिनांक 22.05.2015 को सिपाही के पद पर पदस्थापित होते हुए अनुसंधान अधिकारी द्वारा सीडी जब्त किए जाने के संबंध में साक्ष्य दी है। गवाह पी.डब्ल्यू. 18 शिवदयाल ने अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए जाने बाबत कथन किए हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 19 समुद्र सिंह ने इस्तगासा प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के संबंध में कथन किए हैं। अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू. 05 पितरपाल, पी.डब्ल्यू. 08 मनोहर लाल शर्मा, पी.डब्ल्यू. 09 अंकित, पी.डब्ल्यू. 11 शीशराम, पी.डब्ल्यू. 15 बनारसी एवं पी.डब्ल्यू. 16 दिनेश कुमार प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिनके द्वारा अभियोजन वृत्तांत की ताईद नहीं की गई है।

-धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का साथ साथ

कारित होना-



14. प्रकरण में परिवादी की ओर से पेश परिवाद पर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाया है। धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या विरत करने के लिए प्रवंचित किया जाता है तो वहां छल कारित करने का अपराध घटित होता है और उस छल के अग्रसर में किसी सम्पत्ति का आदान प्रदान होता है तो वहां छल कारित कर सम्पत्ति प्राप्त किए जाने के रूप में धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध घटित होता है। धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि जिस राशि के दुर्विनियोग का आरोप है व राशि संबंधित व्यक्ति के पास विधिवत रूप से कब्जे में प्राप्त हुई हो और विधिवत रूप कब्जे में प्राप्त होने के पश्चात उस राशि का उस व्यक्ति द्वारा दुर्विनियोग किया गया हो। धारा 420 व धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के तत्व परस्पर एक दूसरे के विपरीत व विरोधाभासी हैं। यदि किसी व्यक्ति को प्रारंभ से ही प्रवंचित किया गया हो, वहां उस व्यक्ति के पास उस सम्पत्ति का विधिवत कब्जा नहीं होगा और यदि किसी व्यक्ति को विधिवत कब्जा दिया गया तो उस व्यक्ति के लिए प्रारंभ से प्रवंचना कारित किए जाने का तथ्य समाहित नहीं होगा। दोनों अपराधों के आवश्यक तत्वों के अनुसार किसी भी रूप में धारा 420 व 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के तत्व एक ही घटना के संबंध में परस्पर समान रूप से एक साथ घटित नहीं हो सकते। न्यायिक विनिश्चय **Delhi Race Club (1940) Ltd. & Ors. Vs State of Uttar Pradesh & Anr. 2024 INSC 626** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि:-

27. In our view, the plain reading of the complaint fails to spell out any of the aforesaid ingredients noted above. We may only say, with a view to clear a serious misconception of law in the mind of the police



as well as the courts below, that if it is a case of the complainant that offence of criminal breach of trust as defined under Section 405 of IPC, punishable under Section 406 of IPC, is committed by the accused, then in the same breath it cannot be said that the accused has also committed the offence of cheating as defined and explained in Section 415 of the IPC, punishable under Section 420 of the IPC.

15. माननीय उच्चतम न्यायालय के इस विनिश्चय के अनुसार धारा 420 व 406 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध किसी भी रूप में एक साथ होने योग्य नहीं है। अभियुक्त पर धारा 406 व 420 भारतीय दण्ड संहिता दोनों अपराधों के करने का आरोप हैं। अतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा 420 या 406 भारतीय दण्ड संहिता में से कौन से अपराध के तत्व साबित है या नहीं, इस संबंध में निर्णय के अग्रेतर भाग में पृथक-पृथक विवेचन किया जा रहा है।

- अभियुक्त द्वारा प्रवंचना कारित कर राशि प्राप्त किए जाने का तथ्य-

16. इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो अभियोजन कहानी परिवाद प्रदर्श पी. 09 से प्रारम्भ होती है। परिवाद प्रदर्श पी. 09 में परिवादी रतन सिंह की ओर से तेजपाल सिंह एवं सुरेंद्र सिंह को कम्पनी प्रिया परिवार होम स्टडी प्रा. लि. का निदेशक होने और दिनांक 28.02.2008 को परिवादी के गांव आकर राशि दोगुनी कराने का झांसा देकर 6800/- रुपये लेकर बॉण्ड जारी किए जाने के तथ्य दर्शित किए हैं। परिवादी रतन सिंह न्यायालय में विचारण के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण परीक्षित नहीं हुआ है, वहां परिवाद के कोई तथ्य किसी भी रूप में साबित नहीं है। जहां तक बॉण्ड प्रदर्श पी. 02 का संबंध है जिसके संबंध में अभियोजन द्वारा ऐसे कोई तथ्य दर्शित नहीं किए गए हैं कि उक्त बॉण्ड अभियुक्त महेश कुमार की ओर से ही जारी किया गया हो। परिवाद प्रदर्श पी. 09 में परिवादी की ओर से ऐसा कोई तथ्य



दर्शित ही नहीं किया गया है कि उसको अभियुक्त महेश कुमार की ओर से कोई प्रवंचना दी गई हो या अभियुक्त महेश कुमार अन्य अभियुक्तगण तेजपाल सिंह एवं सुरेंद्र सिंह के साथ उपस्थित हो या उनके साथ किसी भी कार्य में शामिल हो। ऐसी स्थिति में अभियुक्त महेश कुमार द्वारा किसी रूप में प्रवंचना कारित किये जाने का तथ्य साबित हुआ नहीं माना जा सकता।

17. जहां तक अभियोजन की ओर से पेश अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 04 याकत अली खां का प्रश्न है, उक्त गवाह की ओर से अपने सशपथ बयानों में प्रिया परिवार में अपने लड़के इदरीश द्वारा 6800/- रुपये में बाँण्ड खरीदने और उसके लड़के की मृत्यु होने पर एक लाख रुपये बीमा स्कीम में नहीं मिलने के तथ्य दर्शित किए हैं। गवाह जिरह में राशि उसके लड़के द्वारा गिरधारी लाल को जमा कराने और अभियुक्तगण महेश, तेजपाल सिंह एवं सुरेंद्र सिंह से मिलने व उन्हें राशि दिए जाने के तथ्य के संबंध में स्पष्टता के साथ इनकार करता है। प्रथमतः तो उक्त गवाह की ओर से कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। द्वितीयतः उक्त गवाह प्रकरण के अभियुक्तगण से मिलने एवं उन्हें राशि जमा करवाए जाने के तथ्य से इनकार करता है, वहां उक्त गवाह की साक्ष्य से अभियुक्त महेश कुमार द्वारा प्रवंचना कारित किए जाने का तथ्य साबित हुआ नहीं माना जा सकता है।

18. अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू. 06 पूनम देवी, पी.डब्ल्यू. 07 सुमन कुमारी, पी.डब्ल्यू. 10 किशोर देवी एवं पी.डब्ल्यू. 17 मायावती की ओर से सशपथ बयानों में प्रिया परिवार कम्पनी में राशि जमा कराए जाने और संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर राशि नहीं मिलने के तथ्य दर्शित किए गए हैं, लेकिन जिरह में उक्त गवाहों ने कम्पनी के निदेशकों से नहीं मिलने व कम्पनी द्वारा कोई धोखाधड़ी कारित नहीं करने के तथ्यों को स्पष्टता के साथ स्वीकार किया है। इन गवाहान की ओर से अपनी जिरह में कम्पनी के निदेशकों से नहीं मिलने और कम्पनी द्वारा उनके साथ कोई धोखाधड़ी कारित नहीं करना कहती है, वहां केवल मात्र राशि कम्पनी में जमा कराए जाने के तथ्य के



आधार पर किसी भी रूप में अभियुक्त महेश कुमार या इनके जरिए कोई अन्य व्यक्ति द्वारा गवाहान के साथ प्रवंचना कारित होना साबित हुआ नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त उक्त गवाहान की ओर से ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है जिसके आधार पर यह तथ्य साबित हो सके कि गवाहान की ओर से कम्पनी में कोई राशि जमा करवाई गई है। यदि वास्तविक रूप से गवाहान की ओर से कम्पनी में कोई राशि जमा करवाई जाती तो राशि जमा करवाए जाने के संबंध में गवाहान की ओर से अवश्य ही कोई रसीद आदि पेश की जाती, जो कि गवाहान की ओर से पेश नहीं की गई है। इस प्रकार उक्त गवाहान की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त महेश कुमार द्वारा गवाहान को प्रवंचना दी जाकर कोई राशि प्राप्त की गई हो ऐसा कोई भी तथ्य साबित हुआ नहीं माना जा सकता है।

19. अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू. 12 विजय सिंह एवं पी.डब्ल्यू. 14 खेमचंद की ओर से अपने सशपथ न्यायालय बयानों में प्रिया परिवार कम्पनी के संचालक व निदेशक तेजपाल नूनियां, सुरेंद्र नूनिया व महेश नूनियां के कहने पर 6800/- रुपये प्रत्येक के अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमा करवा कर बॉण्ड खरीदने व तेजपाल, सुरेंद्र एवं महेश द्वारा मूल रुपये एवं लाभांश नहीं देने बाबत साक्ष्य दी है। जिरह में गवाहान ने निदेशक को नहीं जानने एवं आज तक मिलने के तथ्य से इनकार किया है। कम्पनी के निदेशक में केवल तेजपाल एवं सुरेंद्र को पहचानने व मिलने बाबत कथन करते हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 12 विजय सिंह ने राशि कर्मचारी नरेंद्र सिंह को जमा करवाने एवं रसीद पत्रावली में जमा नहीं करने बाबत कथन किए हैं। अभियुक्त महेश से नहीं मिलने एवं महेश को कोई राशि नहीं जमा करवाने एवं उसके द्वारा कोई प्रलोभन व लालच नहीं देने के तथ्य को स्वीकार किया है। गवाहान की ओर से मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण को राशि दिया जाना बताया है लेकिन गवाह की ओर से राशि जमा करवाए जाने के संबंध में किसी भी रूप में कोई भी दस्तावेज को पेश कर प्रदर्शित नहीं कराया है जिसके आधार पर मौखिक



कथन स्वीकार योग्य माना जाये कि उनकी ओर से कोई राशि प्रिया परिवार कम्पनी में जमा करवाई गई। स्वयं गवाह पी.डब्ल्यू. 12 विजय सिंह जिरह में राशि गिरधारी लाल को दिया जाना बताता है जो कि स्वीकृत रूप से गवाह की साक्ष्य को संदिग्धता प्रदान करता है क्योंकि गवाह मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण को राशि दिया जाना बताता है। इसके अतिरिक्त गवाहान की ओर से न केवल अपनी मुख्य परीक्षा के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं, बल्कि ऐसे कोई तथ्य दर्शित नहीं किए गए हैं कि इन गवाहान की ओर से अपने साथ हुई घटना/धोखाधड़ी बाबत कोई रिपोर्ट पेश की गई हो। गवाहान द्वारा इस तथ्य को जिरह में स्वीकार किया गया है कि उक्त गवाहान कभी भी अभियुक्त महेश कुमार से नहीं मिले हैं एवं अभियुक्त महेश कुमार द्वारा गवाहान के साथ कोई प्रवंचना कारित हुए उन्हें लालच व प्रलोभन देकर उनकी राशि हड़प कर उनके साथ धोखाधड़ी कारित की गई हो। इस प्रकार जब गवाहान अभियुक्त महेश कुमार से मिलने एवं जानने तक के तथ्य से इनकार करते हैं, वहां अभियुक्त महेश कुमार द्वारा प्रवंचना कारित कर उक्त गवाहान से कोई राशि प्राप्त की गई हो यह तथ्य अपने आप में नासाबित हो जाता है।

20. अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू. 05 पितरपाल, पी.डब्ल्यू. 08 मनोहर लाल शर्मा, पी.डब्ल्यू. 09 अंकित, पी.डब्ल्यू. 11 शीशराम, पी.डब्ल्यू. 15 बनारसी एवं पी.डब्ल्यू. 16 दिनेश कुमार प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिनके द्वारा अभियोजन वृतांत की ताईद नहीं की गई है।

21. उपरोक्त विवेचनानुसार जब परिवादी परीक्षित नहीं हुआ है, अन्य गवाहों की ओर से केवल मात्र मौखिक कथन किये गये हैं, किसी प्रकार के दस्तावेज राशि जमा करवाये जाने बाबत पेश नहीं किये हैं, अपने साथ हुई घटना की कोई रिपोर्ट नहीं दी है, वहां किसी भी रूप में अभियुक्त महेश कुमार द्वारा प्रवंचना कारित करते हुए राशि प्राप्त किये जाने का तथ्य साबित नहीं माना जा सकता है।



- आपराधिक न्यास भंग का तथ्य -

22. इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें अभियोजन गवाहान की साक्ष्य से पूर्व विवेचनानुसार किसी रूप में अभियुक्त महेश कुमार द्वारा प्रवंचना कारित कर राशि प्राप्त किये जाने का तथ्य साबित नहीं हुआ है। जब अभियुक्त महेश कुमार द्वारा राशि प्राप्त किये जाने का तथ्य साबित नहीं है, वहां अभियुक्त द्वारा न्यस्त राशि के दुर्विनियोग का तथ्य भी अपने आप में नासाबित हो जाता है।

- धन परिचालन स्कीम को संपरिवर्तित/संचलित करना, सामग्री का प्रकाशन आदि व इस हेतु निदेशक का दायित्व-

23. अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा 3/4, 5, 6 इनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो अनुसंधानकर्ता पी.डब्ल्यू. 02 गणेशानाथ सिद्ध द्वारा अपने सशपथ कथनों में धारा 3/4, 5, 6 इनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 के तहत अपराध प्रमाणित माने जाने के संबंध में कथन किए हैं। धारा 3 इनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 के तहत कोई व्यक्ति इनामी चिट या धन परिचालन स्कीम का सम्प्रवर्तन या संचालन नहीं करेगा या ऐसी किसी चिट या स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम दर्ज नहीं करायेगा या उसमें अन्यथा भाग नहीं लेगा या ऐसी चिट स्कीम के अनुसरण में कोई धन प्राप्त नहीं करेगा या प्रेषित नहीं करेगा। इस धारा के तहत अपराध के पूर्ण होने के लिए यह आवश्यक है कि कोई व्यक्ति किसी चिट या स्कीम को संचालित करे या कराए या उसमें सदस्य के रूप में भाग ले या कोई धन प्राप्त करे या कराए। गवाहों के सशपथ कथन पूर्व विवेचनानुसार किसी रूप में प्रवंचना के तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वहां ऐसे कथनों के आधार पर किसी रूप में यह तथ्य भी साबित हुआ नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त द्वारा किसी स्कीम का संचालन किया हो। जब अभियुक्त द्वारा किसी स्कीम का संचालन करना या



करवाना साबित नहीं है, वहां अभियुक्त द्वारा कोई धन प्राप्त करना या करवाना या ऐसी किसी स्कीम में शामिल होने का तथ्य भी अपने आप में नासाबित हो जाता है।

24. गवाह पी.डब्ल्यू. 01 रणवीर सिंह एवं पी.डब्ल्यू. 03 अशोक कुमार ने अनुसंधानकर्ता सुरेंद्र कुमार दीक्षित की ओर से दौराने अनुसंधान बॉण्ड जप्त किये जाने बताये है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य दर्शित नहीं होता जो बॉण्ड अनुसंधानकर्ता की ओर से जप्त किया जाना बताया गया है, वह बॉण्ड किसी रूप में अभियुक्त महेश कुमार की ओर से तैयार किया गया हो या उसका प्रकाशन अभियुक्त महेश कुमार की ओर से किया गया हो या बॉण्ड अभियुक्त द्वारा जारी किया गया हो। अनुसंधानकर्ता की ओर से प्रिया होम स्टडी प्राइवेट लिमिटेड के दस्तावेज आदि जप्त किये जाने के संबंध में साक्ष्य दी है, परन्तु अभियोजन की ओर से ऐसा कोई तथ्य दर्शित नहीं किया गया कि जिन दस्तावेजों को वास्तव में उक्त कंपनी का होना बताया गया है, वह उक्त कंपनी से ही संबंधित होकर अभियुक्त महेश कुमार द्वारा ही तैयार किए गए हों या उस संबंध में अभियुक्त को जानकारी होते हुए अभियुक्त द्वारा कोई कार्य आपराधिक आशय से ही किया गया हो। जब अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्य से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है कि अभियुक्त महेश कुमार द्वारा किसी रूप में चिट या धन परिचालन स्कीम के रूप में कोई दस्तावेज तैयार किया गया हो, वहां किसी भी रूप में यह नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त महेश कुमार द्वारा किसी रूप में चिट या धन परिचालन स्कीम हेतु कोई दस्तावेज तैयार किए गए हो।

25. अनुसंधानकर्ता की ओर से किसी भी रूप में कम्पनी को आरोपी नहीं बनाया गया है, दौराने अनुसंधान कम्पनी को नामित करते हुए अपराध प्रमाणित पाया हो, ऐसा कोई तथ्य अनुसंधानकर्ता की ओर से दर्शित नहीं किया गया है, अभियुक्त द्वारा परिवादी व अन्य सदस्यगण को इनामी चिट फण्ड आदि के लिए प्रेरित करने का कोई भी तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं



है, अभियुक्त किसी प्रकार की स्कीम का प्रकाशन संबंधी दस्तावेज प्रकाशित किए जाने का तथ्य पत्रावली पर नहीं है और कम्पनी को किसी रूप में आरोपी के रूप में नामित किया गया हो, ऐसा भी कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है, वहां किसी रूप में कम्पनी के निदेशक या अन्य प्राधिकार के आधार पर अभियुक्त महेश कुमार द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया जाना नहीं माना जा सकता।

-निष्कर्ष-

26. उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन की ओर से यह तथ्य किसी रूप में युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया गया है कि अभियुक्त महेश कुमार ने दिनांक 29.02.2008 को मौजा धमोरा में अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र कारित कर प्रिया होम स्टेडी प्राइवेट लि. में 6800/- रुपये जमा करवाकर सदस्य बनने पर कम्पनी से मिलने वाले लाभांशों का झांसा देकर प्रवंचित कर कपटपूर्वक व बेईमानी से व्यक्तियों को जोड़ा तथा छलपूर्वक उत्प्रेरित कर उनके द्वारा परिदत्त किए गए रुपये जो कि लाभांश आदि प्राप्त करने हेतु न्यस्त किए गए थे, को बेईमानीपूर्वक तरीके से अपने उपयोग में संपरिवर्तित किया व लाभांश व राशि अदा नहीं करके आपराधिक न्यास भंग किया एवं अभियुक्त प्रिया होम स्टेडी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से धन परिचालन स्कीम का संचालन करने के लिए अनेक व्यक्तियों से रुपये लेकर उक्त स्कीम में सहभागिता के लिए या अन्यथा उक्त स्कीम में भाग लेने के लिए तथा उक्त स्कीम के तहत धन प्राप्त करने की दिशा में एनरोल कर सदस्य बनाए तथा उक्त कम्पनी के नाम से विभिन्न प्रकार के दस्तावेज छपवाकर उनका प्रकाशन व वितरण किया। लिहाजा अभियुक्त महेश कुमार को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-आदेश-



27. परिणामतः परिणामतः अभियुक्त महेश कुमार पुत्र सुरेश कुमार, निवासी नूनियां गोठड़ा, पुलिस थाना बगड़, जिला झुंझुनूं (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं अपराध अंतर्गत धारा 3/4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत निष्पादित जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(कालूराम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं (राज.)

28. निर्णय आज दिनांक 25 मार्च, 2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में उद्घोषित कर हस्ताक्षरित किया गया।

(कालूराम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं (राज.)